भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 305

सोमवार, 11 अगस्त, 2025 / 20 श्रावण, 1947 (शक)

तेलंगाना के नलगोन्डा में ईएसआईसी अस्पताल

***305. श्री कुंदुरु रघुवीर:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि**:**

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि तेलंगाना के नलगोन्डा जिले में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के अंतर्गत बीमित कार्यबल की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने 25 किलोमीटर के दायरे में मौजूदा या अनुमानित बीमित व्यक्तियों की संख्या के आधार पर नलगोन्डा में 150 या 200 बिस्तरों वाला ईएसआईसी अस्पताल स्थापित करने की व्यवहार्यता का आकलन किया है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या 50 किलोमीटर के दायरे में किसी ईएसआईसी अस्पताल की मौजूदगी की शर्त इस प्रस्ताव को निर्हर ठहराती है और यदि नहीं, तो इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार उक्त जिले में कम से कम 150 बिस्तरों वाले अस्पताल के लिए मानदंडों में ढील देने या उसके अनुमोदन में तेजी लाने पर विचार करेगी और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

* *****

"तेलंगाना के नलगोन्डा में ईएसआईसी अस्पताल" के संबंध में श्री कुंदुरु रघुवीर द्वारा दिनांक 11.08.2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 305* के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (घ): ईएसआईसी के पूर्व-निर्धारित मानदंडों के अनुसार व्यवहार्यता का आंकलन करके कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) निगम अस्पताल की स्थापना एक सतत प्रक्रिया है। ईएसआईसी मानदंडों के अनुसार, 150 और 200 बिस्तरों वाले नए ईएसआई अस्पताल की स्थापना के लिए क्रमशः न्यूनतम 1,00,000 और 1,50,000 बीमित व्यक्तियों (आईपी) की आवश्यकता होती है। साथ ही, 50 किलोमीटर के दायरे में कोई अन्य ईएसआई अस्पताल नहीं होना चाहिए। तेलंगाना के नलगोन्डा जिले में 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान बीमित व्यक्तियों की कुल संख्या क्रमशः 789, 2727 और 5061 थी।

वर्तमान में, नलगोंडा जिले में ईएसआई लाभार्थियों को चिकित्सा सेवाएं मिरयालगुडा में 01 ईएसआईएस औषधालय और 05 निजी टाई-अप अस्पतालों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

*****